स्वागत भाषण*

के.सी. चक्रवर्ती

श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार, डा. डी. सुब्बा राव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री रिजर्व बैंक रिचर्ड ए. बाउचर, उप महासचिव, ओईसीडी, श्री आन्द्रे लाबूल, प्रमुख, ओईसीडी वित्तीय कार्य प्रभाग और अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा नेटवर्क (आइएनएफई), सुश्री फ्लोरेन मेसी, प्रधान प्रशासक, ओईसीडी, विशिष्ट अतिथिगण और सारी दुनिया से आए कार्यशाला के सहभागियो, देवियो और सज्जनों।

2. बगीचों के इस शहर बंगलूरू, जो विश्व समुदाय द्वारा प्यार से भारत की सिलिकन वैली के नाम से बुलाया जाता है, भारत में अब तक की सबसे पहली भारतीय रिज़र्व बैंक -ओईसीडी पहल के रूप में इस वित्तीय साक्षरता कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वास्तव में, इस शहर से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती थी क्योंकि यह शहर न केवल विश्व के जानेमाने वित्तीय और ज्ञान आधारित सेवा प्रौद्योगिकी प्रदाताओं में से कुछ प्रदाताओं का शहर है बल्कि कर्नाटक राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने में अग्रणी पहल की है।

3. यह अत्यंत हर्ष और सौभाग्य की बात है कि मुझे श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार का स्वागत करने का अवसर मिला है जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम और बहुत से उत्तरदायित्वों के बावज़ूद मुख्य भाषण देने पर अपनी सहमति दी है तथा और आगे काम करने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों को कुछ विचारों से अवगत कराने पर भी अपनी सहमति दी है। माननीय वित्त मंत्री महोदय आपका स्वागत करते हुए हम आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

4. मैं डॉ. सुब्बा राव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ जिन्होंने हाल ही के अत्यंत कठिन समय में भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति को सफलतापूर्वक दिशा दिखाई है। महोदय, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह आपका ही विचार था कि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्लेटिनम जुबिली समारोह में अंतरराष्ट्रीय असर दिखाने वाला एक कार्यक्रम किया जाए जिसका वित्तीय

* दिनांक 22 और 23 मार्च 2010 को बंगलूरू में वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक - ओईसीडी कार्यशाला में डॉ.के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया स्वागत भाषण ।

सेवाओं के क्षेत्र में दीर्घकालिक महत्व रहे। महोदय, यह कार्यशाला आपके उस विचार का ही फल है।

5. मैं श्री रिचर्ड ए. बाउचर, उप महा सचिव, ओईसीडी का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ जिन्होंने, ओईसीडी के अन्य अधिकारियों, जो कि इस कार्यशाला को चलाने में सहयोगी हैं, के साथ मिलकर यह कार्यशाला संभव बनायी है। मैं श्री आंद्रे लाबूल, प्रमुख, ओईसीडी वित्तीय कार्य प्रभाग और अध्यक्ष, वित्तीय शिक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, श्री हेल्मुट - हैंस कोट्ज़, सदस्य, बुंदेश बैंक कार्यपालक बोर्ड और अध्यक्ष, वित्तीय बाजार संबंधी ओईसीडी समिति तथा सुश्री फ्लोरेन मेसी, प्रधान प्रशासक, ओईसीडी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ।

6. मैं इस कार्यशाला के विभिन्न पैनलिस्टों तथा विभिन्न देशों से आए लब्ध प्रतिष्ठ शिष्टमंडलों का भी स्वागत करता हूँ जो यहां पर इस अत्यंत उत्साहकारी पहल में अपने अनुभव और विचारदृष्टियां बांटने आए हैं।

7. 1961 में स्थापित ओईसीडी वित्तीय स्थिरता बनाये रखते हुए सदस्य देशों को निरंतर आर्थिक वृद्धि हासिल करने और रोजगार तथा अपना जीवन स्तर उंचा उठाने में मदद देने के कार्य में संलग्न है - यह सब इसलिए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया जा सके। अपने महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य के रूप ओईसीडी ढेर सारी सरकारी एजेंसियों और केन्द्रीय बैंकों के साथ विश्व में संभावित वित्तीय जोखिम के विरुद्ध एक अंतर्निहित संरक्षक सुरक्षा कवच निर्मित करने के लिए वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने तथा वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है।

8. ओईसीडी में 2008 के मध्य में वित्तीय शिक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (आइएनएफई) भी स्थापित किया है जो ओईसीडी के सदस्य देशों और गैर सदस्य अर्थव्यवस्थाओं दोनों से ही सरकारी वरिष्ठ अधिकारी को वित्तीय शिक्षा संबंधी मुद्दों, नई गतिविधियों, अनुभवों और कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए एक पास लाता है।

9. मुझे यह कहना चाहिए कि यही वह कारण है कि ओईसीडी अपने संसाधनों को बांटने और उन्हें मुक्त करके भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ इस संयुक्त कार्यशाला को चलाने पर इतना सहर्ष सहमत हुआ है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक में हम ओईसीडी द्वारा चमकाई गयी अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना चाहते हैं और बैंकिंग रहित तथा वित्तीय रूप से अशिक्षित आबादी के विशाल जनसमूह को कवर करने के लिए बहुगुणी प्रभाव हेतु उन्हें और बेहतर बनाना चाहते हैं। आखिरकार, निरंतर और समावेशी वृद्धि हेतु वित्तीय समावेशन एक आवश्यक पूर्व शर्त है।

10. सीधे सरल शब्दों में, वित्तीय साक्षरता का अर्थ है निजी वित्त के प्रबंधन हेतु अपेक्षित ज्ञान। इसका अर्थ औपचारिक वित्तीय शिक्षा नहीं है। इसके बजाय, इसके अंतर्गत यह समझना आता है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ क्रेडिट को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए, पैसे और बचतों का किस प्रकार प्रबंध किया जाए, वित्तीय जोखिमें कैसी घटाई जाएं और बचत के दीर्घावधि लाभ कैसे हासिल किये जाएं।

11. यह सर्व विदित है कि वित्तीय साक्षरता किस प्रकार से विकासशील और विकसित दोनों ही देशों को किस प्रकार प्रभावित करती है, हालांकि इसकी मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, आदि जैसे देशों में किए गए अनेक सर्वेक्षणों से पता चला है कि बहुत से लोग बिना सोचे समझे वित्तीय जोखिमें उठाते हैं और वास्तव में वे पैसे के सबसे कमजोर प्रबंधक हैं।

12. सही मायने में, यह माना जाता है कि हाल ही के वित्तीय संकट की समस्या अनियंत्रित वित्तीय निरक्षरता अथवा उस वित्तीय पारदर्शिता की कमी से उपजी है जो वित्तीय सेवा प्रदाताओं की आदर्श आचार संहिता में वित्तीय साक्षरता द्वारा दूर की जानी चाहिए थी। हमारे पास गलत बिक्री के ढेरों उदाहरण हैं जहां ग्राहकों ने ऐसे लेन-देनों से आने वाली जोखिमों को समझे बिना वित्तीय संविदाएं की हैं जिनकी वजह से अप्रत्याशित अस्थिरता आती है और कारोबार अवहनीय हो जाता है।

13. वित्तीय समावेशन अभियान में सफलता के लिए वित्तीय साक्षरता भी एक आवश्यक पूर्व शर्त है। इस विषय के आयामों का अनुमान अनुसंधानकर्ताओं के एक समूह की वित्तीय कारवाई पहल द्वारा प्रस्तुत हाल ही के पेपर से लगाया जा सकता है। आप जैसे लब्ध-प्रतिष्ठ श्रोताओं के लाभार्थ मैं इस पेपर के तीन महत्वपूर्ण निष्कर्षों को उद्धृत करना चाहूँगा :

- 2.5 बिलियन युवक, जो विश्व की 4.7 बिलियन कुल युवक आबादी के आधे से भी अधिक हैं, बचत करने या उधार लेने के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं।
- इन सेवाहीन युवकों की आबादी का 2.2 बिलियन हिस्सा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमरीका और मध्य-पूर्व के देशों में रहता है।
- वित्तीय सेवा प्राप्त शेष 2.2 बिलियन युवकों में से 800 मिलियन से थोड़े अधिक 5 अमरीकी डॉलर प्रति दिन से भी कम में गुज़ारा करते हैं।

14. वित्तीय वंचन की समस्या के आयामों के ऐसे अनुमानों तथा यह समझ कि वित्तीय साक्षरता के बिना वित्तीय समावेशन करना संभव नहीं है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने की बात का ज़ोर पहले से ज़्यादा हो जाता है।

15. संस्थागत साक्षरता ढांचे के अंतर्गत जनता के व्यापक वर्गों को लाकर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसी संस्थागत पहलें साक्षरता के मानकों को सुधारने पर काफी हद तक फोकस करेंगी। साथ ही सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं का भी यही नैतिक उत्तरदायित्व रहेगा कि वे काफी हद तक पारदर्शिता और निष्पक्षता लायें विशेषकर वे जो वित्तीय उत्पादों को बेचने और वित्तीय परामर्श देने के कार्यों में संलग्न लोगों के लिए तथा एक नैतिक ग्रिड में जिसके भीतर उन्हें काम करना चाहिए। यह पहल जनता में वित्तीय साक्षरता फैलाने की तुलना में किसी भी तरह से कम चुनौतीपूर्ण नहीं है।

16. इस प्रकार इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमेशा बढ़ते रहने वाले जोखिम के क्षितिजों के साथ निपटने की हमारी पहलों में से वित्तीय साक्षरता एक पहल होनी चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक में हमने एक अनोखा जन सपंर्क कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक कुछ महत्वूपर्ण नीतिगत पहलों के विनियामक पहलुओं को समझने में व्याप्त अंतरों को पाटने की कोशिश कर रहा है। तथापि, रिज़र्व बैंक या केन्द्रीय बैंक अथवा अकेले काम करने वाले बैंक विनियामक वित्तीय साक्षरता को आगे बढ़ाने तथा वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के व्यापार में पारदर्शिता लाने के इस असाधारण उत्तरदायित्व को पूरा करने में सफल नहीं होंगे। अन्य वित्तीय विनियामकों, सरकार - राज्य और संघीय दोनों ही, वित्तीय सेवा प्रदाताओं, शिक्षाविदों के समुदाय तथा सभ्य समाज के अन्य लोग जैसे सभी भागीदारों के सक्रिय सहयोग की इस विशाल पहल में आवश्यकता है। साथ ही इस क्षेत्र में ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें व्यापक वैश्विक प्रयासों और सहयोग की भी आवश्यकता है।

17. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज की इस कार्यशाला में सभी हितधारकों का पूरे मन से भाग लेना इस बात का प्रमाण है कि सभी हितधारक अपना वचन पूरा कर रहे हैं और यह इस क्षेत्र में वैश्विक प्रयासों और सहयोग का आह्वान करने के हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

18. हम वित्तीय शिक्षा के इस प्रयास को जागरूकता फैलाने, वित्तीय शिक्षा प्रदान करने, कम सुविधा प्राप्त लोगों को वित्तीय उत्पादों और बाजारों तक पहुंचने की शक्तियां प्रदान करने की विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक यात्रा की तरह देखते हैं जिससे कि वे निरंतर वृद्धि तथा मानवता की संपन्नता सुनिश्चित करने में एक सार्थक सक्रिय भूमिका निभा सकें।

19. मुझे यकीन है कि भारत की इस ऐतिहासिक कार्यशाला से हम सभी को एक लाभकारी और समृद्धिशाली अनुभव प्राप्त होगा। एक बार फिर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।